

संयुक्त स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद इटावा के अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-92 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-719) के किमी०-70.500 से 74.700 तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में 6.930 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक-14-07-2022 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु 6.930 हे० वनभूमि की आवश्यकता है। सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत 6.930 हे० वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है और मांगी गयी 6.930 हे० वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

स्थान- इटावा

दिनांक- 14-07-2022


(शिव प्रसाद)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
बड़पुरा (इटावा)


(संजय सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा


(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा


Mukesh Kumar Thakur
Executive Engineer
N.H. Division P.W.D. Etawah

Full Title of The Project: Rehabilitation & upgradation to four lane road from Km. 70.500 to 78.600 Km of NH-92 (new NH-719) in the State of Uttar Pradesh

File No.:FP/UP/ROAD/150997/2022

Date of Proposal: 10-01-2022

CERTIFICATE FOR MINIMUM USE OF FOREST LAND

This is to certify that the forest area involved in the proposal for diversion of forest land for rehabilitation & up gradation to four lane road from chainage 70.500 Km to 74.700 Km in Social Forestry Division Etawah is unavoidable and barest minimum. Forest area measuring **6.930 Ha** is proposed for diversion.

Place: Etawah

Date: 10/01/2022

C.S.
(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

Mukesh Kumar Thakur
(Mukesh Kumar Thakur)
Executive Engineer
N.H. Division, PWD, Etawah
N.H. Division, PWD,

Etawah